न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास -- श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 39/2017

अपीलान्ट बनाम रेस्पोडेन्ट्स

मनीराम पुत्र गंगाराम जाति जाट
निवासी खुडखुडाकलां तहसील मुण्डवा
जिला नागौर।

1तहसीलदार, मुण्डवा।
2हल्का पटवारी कडलू।

उपस्थिति :-

1. श्री कैलाश गालवा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 14.02.18

{1}--मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 68/2017 सरकार बनाम मनीराम में निर्णय दिनांक 15.02.17 के तहत मौजा खुडखुडाकलां के खसरा नं. 170 रकबा 0.05 बीघा गै.मु. मगरा भूमि से बेदखली एवं शास्ति के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.03.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 10.03.2017 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}-उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि -

{2}(I)-अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.17 पूर्णतया अवैध विधिविरूद्व एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एकपक्षीय रूप से पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)-अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को जवाब पेश करने हेतु एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बगैर एकपक्षीय रूप से निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। इस प्रकार निर्णय जैर अपील नैसर्गिक न्याय के सामान्य सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।

{2}(III)--अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 15.02.17 को नियत की हुई थी एवं अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करना चाहता था एवं इस हेतु अवसर भी मांगा गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय/आदेश आनन-फानन व उतावलेपन से व बिना सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बगैर पारित किया गया है। जो निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(IV)-अपीलांट का उपरोक्त खसरा नं. 170 रकबा 0.05 बीघा गै.मु. मगरा भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है। इसके बावजूद भी पटवारी हल्का कडलू की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बगैर व पटवारी हल्का कडलू से जिरह का मौका दिये बगैर व अपीलांट द्वारा खसरा नं. 170 रकबा 0.05 बीघा किस्म मगरा भूमि पर से स्वतः अतिक्रमण हटाने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का कडलू की रिपोर्ट पर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। जो निरस्तनीय है।

{2}(V)-पूर्व में हुए बेदखली के निर्णय की प्रति पत्रावली में पेश किये बगैर ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित किया है। जो निर्णय विधि विरूद्व व न्याय के सामान्य सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(VI)-अपीलांट के विरूद्व मौजा खुडखुडाकलां के खसरा नं. 170 रकबा 0.05 बीघा गै.मु. मगरा भूमि पर काश्त पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का कडलू को आधार मानकर निर्णय पारित किया जबकि इससे पूर्व ही अपीलांट ने उपरोक्त भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी अपीलांट कब्जा हटाने के संबंध में पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करना चाहता था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस हेतु पर्याप्त अवसर दिये बगैर ही जैर अपील निर्णय पारित कर दिया। जो निरस्तनीय है।

{2}(VII)--वकील अपीलांट द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि उन्होने मौके पर अतिक्रमण हटा लिया है। अब किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है। इसलिये सिविल कारावास की सजा माफ की जानी चाहिये।

अपर कलक्टर, नागौर

{3}—राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा खुडखुडाकलां में स्थित गै.मु. मगरा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्मी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। इससे पहले प्रकरण सं. 194/15 में बेदखली कार्यवाही दिनांक 11.9.15 को हुई है। जिसको पटवारी के बयानों में साबित भी करवाया गया है। इस प्रकार अतिक्रमण की पुनरावृति होने पर ही सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किया गया है। इसके अलावा प्रार्थना पत्र सं. 29/17 मनीराम बनाम सरकार में अपीलांट द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसकी न्यायालय हाजा द्वारा सत्यापन करवाया गया। जिसके दौरान मौके पर कब्जा नही हटाया जाना पाया गया है। इस प्रकार अपीलांट राजकीय भूमि पर हठधर्मिता पूर्वक अतिक्रमण बनाये हुए है। आदेश जैर अपील सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}—उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके खुडखुडाकलां के खसरा नंबर 170 रकबा 0.05 बीघा गै.मु. मगरा भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है तथा आराजी भूमि राजकीय भूमि होना रेकर्ड से साबित है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट का उपस्थित होना रेकर्ड से साबित है। इससे पहले प्रकरण सं. 194/15 में दिनांक 11.9.15 को भौतिक रूप से बेदखली कार्यवाही भी किया जाना फर्द बेदखली व पटवारी के बयान से साबित है तथा अपील लम्बित रहते हुए अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर अतिक्रमण हटा लिये जाने अथवा नही के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से भौतिक सत्यापन करवाया गया। जो नायब तहसीलदार मुण्डवा के पत्र क्रमांक 7 दिनांक 15.1.18 के अनुसार अपीलांट द्वारा आराजी भूमि से भौतिक रूप से कब्जा नही हटाया गया है। इससे भी अपीलांट द्वारा हठधर्मिता पूर्वक अतिक्रमण किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}— उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर